Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 44–2019/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, MARCH 8, 2019 (PHALGUNA 17, 1940 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 8 मार्च, 2019

संख्या 29/जीएसटी–2.– हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19), की धारा 23 की उप–धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, निम्नलिखित प्रवर्ग के व्यक्तियों को, उस प्रवर्ग के व्यक्तियों के रूप में विनिर्दिष्ट करते हैं, जिनको उक्त अधिनियम के अधीन पंजीकरण से छूट प्राप्त है, अर्थात्:–

कोई व्यक्ति जो माल के अनन्य प्रदाय में नियोजित हो और जिसका वित्तीय वर्ष में सकल आवर्त चालीस लाख रुपए से अधिक न हो, ऐसे व्यक्तियों को छोड़कर,–

(क) जिनके लिए उक्त अधिनियम की धारा 24 के अधीन अनिवार्य पंजीकरण कराना अपेक्षित हो;

(ख) जो ऐसे मालों के प्रदाय में लगे हों जिनका विवरण नीचे दी गई सारणी के खाना (3) में विनिर्दिष्ट है और उक्त सारणी के खाना (2) की तत्स्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट टैरिफ मद, उप शीर्ष, शीर्ष या अध्याय, जैसी भी स्थिति हो, के अधीन आता हों;

(ग) जो अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पुडुचेरी, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड राज्यों में अंत:राज्य प्रदाय में नियोजित हों; और

(घ) धारा 25 की उप–धारा (3) के उपबंधों के अधीन विकल्प अपना रहे हों या ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जो उक्त अधिनियम के अधीन अपने पंजीकरण को जारी रखना चाहते हैं ।

सारणी

क्रम संख्या	**टैरिफ मद, उप शीर्ष, शीर्ष या अध्याय**	**विवरण**
(1)	(2)	(3)
1	2105 00 00	आईस–क्रीम और अन्य खाद्य बर्फ, चाहे इनमें कोकोवा मिला हो या नहीं
2	2106 90 20	पान मसाला
3	24	सभी वस्तुएं अर्थात् तंबाकू और तंबाकू उत्पादों के विकल्प।

2. यह अधिसूचना प्रथम अप्रैल, 2019 से लागू होगी ।

संजीव कौशल,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 8th March, 2019

No. 29/GST-2.— In exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 23 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017) (hereafter referred to as the "said Act"), the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council, hereby specifies the following category of persons, as the category of persons exempt from obtaining registration under the said Act, namely,-

Any person, who is engaged in exclusive supply of goods and whose aggregate turnover in the financial year does not exceed forty lakh rupees, except,–

(a) persons required to take compulsory registration under section 24 of the said Act;

(b) persons engaged in making supplies of the goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below and falling under the tariff item, sub-heading, heading or Chapter, as the case may be, as specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table;

(c) persons engaged in making intra-State supplies in the States of Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Puducherry, Sikkim, Telangana, Tripura, Uttarakhand; and

(d) persons exercising option under the provisions of sub-section (3) of section 25, or such registered persons who intend to continue with their registration under the said Act.

Table

Serial Number	**Tariffitem, sub-heading, heading or Chapter**	**Description**
(1)	(2)	(3)
1	2105 00 00	Ice cream and other edible ice, whether or not containing cocoa.
2	2106 90 20	Pan masala
3	24	All goods, i.e. Tobacco and manufactured tobacco substitutes

2. This notification shall come into force on the 1st day of April, 2019.

SANJEEV KAUSHAL,
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,
Excise and Taxation Department.

56941—C.S.—H.G.P., Chd.